कार्यालय नगर निगम, कोटा उत्तर (राज0)

क्रमांकः–ननिको(उ.)/जन0स्वा0/2024/208-220 दिनांक :–10/10/24

–: ई–निविदा सूचना :–

नगर निगम कोटा उत्तर क्षेत्र में से. नं. 01 से 07 के कुल 70 वार्डो मे सफाई कार्य हेतु 490 बीट श्रमिक आपूर्ति कार्य का द्विवार्षिक अनुबंध करने वाले पंजीकृत संवेदको से ई–निविदा पद्धति द्वारा ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा का प्रकार कार्य की अनुमानित राशि निविदा बेचे जाने, प्राप्त करने, अन्य शर्ते एवं जानकारी निगम वेबसाईट www.kotamc.org, http://sppp.rajasthan.gov.in, http:// eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। अनुमानित राशि 9,61,00,500/–रूपये

आयुक्त
नगर निगम, कोटा उत्तर

क्रमांकः– ननिको(उ.)/जनस्वा/2024/208-220
दिनांक :– प्रतिलिपि :–

1. माननीया महापौर महोदया, नगर निगम, कोटा उत्तर।
2. माननीय उपमहापौर महोदय, नगर निगम, कोटा उत्तर।
3. माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय, नगर निगम, कोटा उत्तर।
4. अति० आयुक्त, नगर निगम, कोटा उत्तर।
5. उपायुक्त प्रथम/द्वितीय, नगर निगम, कोटा उत्तर।
6. मुख्य लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, नगर निगम कोटा उत्तर।
7. अधिशाषी अभियंता प्रथम, (गैरीज) नगर निगम कोटा उत्तर।
8. प्रभारी एवं नोडल अधिकारी ई–टेण्डरिंग, एन.आई.सी. एव ऑसवाल डाटा प्रोसेसर नगर निगम कोटा उत्तर को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा, निविदा प्रपत्रएवं शर्ते वेबसाईट पर अपलोड करावे।
9. स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम कोटा उत्तर।
10. सहायक अभियंता(गैरीज)/कनिष्ठ अभियंता(गैरीज) नगर निगम कोटा उत्तर।
11. ई गवर्नेन्स प्रभारी को भेजकर लेख है कि नगर निगम की वेबसाईट पर डालें।
12. पुस्तकालय को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा का प्रकाशन नियमानुसार राज्य स्तरीय अथवा क्षेत्रीय समाचार पत्रों में आज ही प्रकाशित करावे।
13. .नोटिस बोर्ड/गार्ड फाईल।

आयुक्त
नगर निगम, कोटा उत्तर

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय नगर निगम, कोटा उत्तर (राज0)

क्रमांकः– ननिको(उ.)/जन.स्वा/2024/208-220 दिनांकः–10/10/24

–: निविदा सूचनाः (ई–टेण्डरिंग) :–

नगर निगम कोटा उत्तर क्षेत्र में निम्न कार्य की द्विवार्षिक अनुबंध हेतु ई–टेन्डरिंग (E-Tendering) के माध्यम से पंजिकृत/अन्य केन्द्रीय, राजकीय विभागों, में उपर्युक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदको, फर्म, साझेदारी फर्म कम्पनी एवं एकल स्वामित्व वाली फर्मो/सहकारी संस्थाओं से निविदाऐं आमंत्रित की जाती है। निविदाओं से सबंधित निविदा प्रपत्र, शर्ते वेबसाईट **http://sppp.rajasthan.gov.in, http:// eproc.rajasthan.gov.in** से डाउनलोड की जा सकती है तथा निविदाओं को इसी वेबसाईट पर ऑनलाईन भरी जानी है। निविदा सबंधी जानकारी नगर निगम कोटा की वेबसाईट **www.Kotamc.org** पर भी देखी जा सकती है। निविदा के किसी भाग को अथवा निविदा को निरस्त करने का अधिकारी सक्षम प्राधिकारी, नगर निगम कोटा उत्तर को निहित होगा।

- निविदा डाउनलोड करने की तिथि (वेबसाईट से) : 11/10/24 से 21/10/24 तक (सांय 6.00 बजे तक)
- निविदा अपलोड करने की तिथि : 11/10/24 से 21/10/24 तक(सांय 6.00 बजे तक)
- प्रि–बिड मिटिंग : 15/10/24 (दोपहर 12 बजे उपायुक्त–प्रथम कक्ष)
- धरोहर राशि/निविदा शुल्क/प्रोसेसिंग फीस ऑनलाईन www. kotamc.org पर जमा करानी होगी।
- निविदा की तकनीकी बिड खोलने की तिथि : 22/10/24 (दोपहर 12:.00 बजे)

क्र.सं	कार्य का नाम	अनुमानित राशि	धरोहर राशि	टेण्डर फीस	प्रोसेसिंग फीस
1	नगर निगम कोटा उत्तर क्षेत्र में से. नं. 01 से 07 के कुल 70 वार्डो मे सफाई कार्य हेतु 490 बीट श्रमिक आपूर्ति कार्य का द्विवार्षिक अनुबंध।	9,61,00,500/–	19,22,010/–	7500/–	2500/–

नोट (1) निविदा की घरोहर राशि/निविदा शुल्क/प्रोसेसिंग फीस ऑनलाईन www.Kotamc.org पर जमा करानी होगी। जिसका साक्ष्य निविदा की तकनीकी बिड के साथ प्रस्तुत करना होगा।

(2) केवल तकनीकी बिड में सफल संवेदको की ही वित्तीय बिड खोली जाने हेतु पृथक से सूचित किया जावेगा।

आयुक्त
नगर निगम, कोटा उत्तर

क्रमांकः– ननिको(उ.)/जनस्वा/2024/208-220 दिनांकः– 10/10/24

प्रतिलिपिः–

1. माननीया महापौर महोदया, नगर निगम, कोटा उत्तर।
2. माननीय उपमहापौर महोदय, नगर निगम, कोटा उत्तर।
3. माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय, नगर निगम, कोटा उत्तर।
4. अति० आयुक्त, नगर निगम, कोटा उत्तर।
5. उपायुक्त प्रथम/द्वितीय, नगर निगम, कोटा उत्तर।
6. मुख्य लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, नगर निगम कोटा उत्तर।
7. अधिशाषी अभियंता प्रथम, (गैरीज) नगर निगम कोटा उत्तर।
8. प्रभारी एवं नोडल अधिकारी ई–टेण्डरिंग, एन.आई.सी. एव ऑसवाल डाटा प्रोसेरार नगर निगम कोटा उत्तर को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा, निविदा प्रपत्रएवं शर्ते वेबसाईट पर अपलोड करावे।
9. स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम कोटा उत्तर।
10. सहायक अभियंता(गैरीज)/कनिष्ठ अभियंता(गैरीज) नगर निगम कोटा उत्तर।
11. ई गवेर्नेन्स प्रभारी को भेजकर लेख है कि नगर निगम की वेबसाईट पर डालें।
12. पुस्तकालय को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा का प्रकाशन नियमानुसार राज्य स्तरीय अथवा क्षेत्रीय समाचार पत्रों में आज ही प्रकाशित करावे।
13. .नोटिस बोर्ड/गार्ड फाईल।

आयुक्त
नगर निगम, कोटा उत्तर

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय नगर निगम, कोटा उत्तर (राज0)

तकनीकी निविदा प्रपत्र

कार्य का नाम :– नगर निगम कोटा उत्तर क्षेत्र में से. नं. 01 से 07 के कुल 70 वार्डों मे सफाई कार्य हेतु 490 बीट श्रमिक आपूर्ति कार्य का द्विवार्षिक अनुबंध।

फर्म का नाम एवं पता :– ....

मो.नं. एवं ईमेल आई.डी. :– ....

अनुमानित राशि :– 9,61,00,500 / – (द्विवार्षिक अनुबंध)

निविदा शुल्क :– 7500 / –

प्रोसेसिंग शुल्क :– 2500 / –

धरोहर राशि :– 19,22,010 / –

- निविदा डाउनलोड करने की तिथि (वेबसाईट से) : 11/10/24 से 21/10/24 तक (सांय 6.00 बजे तक)
- निविदा अपलोड करने की तिथि : 11/10/24 से 21/10/24 तक(सांय 6.00 बजे तक)
- प्रि–बिड मिटिंग : 15/10/24 (दोपहर 12 बजे उपायुक्त–प्रथम)
- धरोहर राशि / निविदा शुल्क / प्रोसेसिंग फीस ऑनलाईन www. kotamc.org पर जमा करानी होगी।
- निविदा की तकनीकी बिड खोलने की तिथि : 22/10/24 (दोपहर 12:.00 बजे)

क्र.सं	तकनीकी बिड़ के साथ निम्न दस्तावेज जो संलग्न करने है।	संलग्न हां / नहीं	संलग्न पेज सं
1	धरोहर राशि, निविदा शुल्क एवम् प्रोसेसिंग फीस के भुगतान ऑनलाईन www.Kotamc.org पर जमा कराने के Kota MC पोर्टल से जारी रसीद के साक्ष्य की प्रमाणित प्रति।		
2	स्थायी पता प्रमाणीकरण हेतु राशन कार्ड / मतदाता पहचान पत्र / आधार कार्ड / ड्राइविंग लाईसेंस मे से कोई एक की प्रमाणित प्रति।		
3	निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ हस्ताक्षरित।		
4	लेबर एक्ट के तहत श्रम विभाग में पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति।		
5	पी.एफ. एवं ई.एस.आई. के पंजियन के प्रमाण पत्र की प्रति।		
6	जी.एस.टी. पंजीयन की प्रमाणित प्रति।		
7	पेन कार्ड की प्रमाणित प्रति।		
8	एनएक्चर ए.बी.सी.डी. हस्ताक्षरयुक्त।		
9	संवेदक का नगर निगम कोटा उत्तर / दक्षिण के किसी भी महापौर / उपमहापौर / पार्षद / अधिकारी / कर्मचारी से ब्लड रिलेशन नही होने बाबत रूपये 50 / – (राजस्थान सरकार के स्टाम्प पर) के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर कार्य–पालक मजिस्ट्रेट द्वारा / नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।		
10	फर्म किसी भी राज्य सरकार / केन्द्र सरकार, निगम बोर्ड से ब्लेक लिस्टेड नही होने बाबत रूपये 50 / – के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर कार्य–पालक मजिस्ट्रेट द्वारा / नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।		
11	गत 3 वर्षो के आयकर रिटर्न (वित्तीय वर्ष 2020–21, 2021–22, 2022–23) के साथ सी.ए. ओडिट रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति। (वित्तीय वर्ष 2020–21, 2021–22, 2022–23)		
12	पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र जो 6 माह से पुराना न हो की प्रमाणित प्रति।		
13	राशि 3.50 करोड औसत वार्षिक टर्न ओवर का सी.ए. से प्रमाणित प्रमाण पत्र विगत 3 वर्ष (वित्तीय वर्ष 2020–21, 2021–22, 2022–23)		

नोट :– उपरोक्त सभी प्रमाण पत्र स्व प्रमाणित होने चाहिये एवं उक्त दी गई सूचनाएं मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है तथा हमारी फर्म निविदा की समस्त शर्तों एवं नियमों की पालना करने के लिये सहमत है।

हस्ताक्षर संवेदक

आयुक्त
नगर निगम, कोटा उत्तर

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय नगर निगम, कोटा उत्तर (राज0)

वित्तीय निविदा प्रपत्र

आयुक्त
नगर निगम, कोटा उत्तर

फर्म का नाम : ....

अनुमानित राशि :– 9,61,00,500 / – (द्विवार्षिक अनुबंध)
निविदा शुल्क :– 7,500 / –
प्रोसेसिंग शुल्क :– 2,500 / –
धरोहर राशि :– 19,22,010 / –

- निविदा डाउनलोड करने की तिथि (वेबसाईट से) : 11/10/24 से 21/10/24 तक (सांय 6.00 बजे तक)
- निविदा अपलोड करने की तिथि : 11/10/24 से 21/10/24 तक(सांय 6.00 बजे तक)
- प्रि–बिड मिटिंग : 15/10/24 (दोपहर 12 बजे उपायुक्त–प्रथम कक्ष)
- धरोहर राशि / निविदा शुल्क / प्रोसेसिंग फीस ऑनलाईन www. kotamc.org पर जमा करानी होगी।

क. स.	कार्य का नाम	दर प्रति श्रमिक प्रति दिन राशि रूपये				सर्विस चार्ज न्यूनतम मजदूरी 259 / – पर 5 प्रतिशत देय (रूपये 12. 95 न्यूनतम)
		न्यूनतम मजदूरी	पी.एफ. 13.00 प्रतिशत	ई.एस. आई. 3.25 प्रतिशत	कुल राशि (रूपये)	
1.	नगर निगम कोटा उत्तर क्षेत्र में से. नं. 01 से 07 के कुल 70 वार्डो मे सफाई कार्य हेतु 490 बीट श्रमिक आपूर्ति कार्य का द्विवार्षिक अनुबंध।	259 / –	33.67 / –	8.42 / –	301.09 / –	

नोट :– 1. दरो के अतिरिक्त कोई अन्य शर्त मान्य नहीं होगी।
2. दरें समस्त करो सहित प्रस्तुत करनी होगी।
3. दरें 05 प्रतिशत से कम मान्य नही होगी तथा दरें राशि रूपये पैसे मे ही मान्य होगी।

(निविदादाता के हस्ताक्षर)

नाम ....

पता ....

मोबाईल नं0 ....

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय नगर निगम, कोटा उत्तर (राज0)

–:: निविदा शर्ते ::–

1. निविदा ऑनलाईन भरी जावेंगी। निविदा भरने हेतु निविदा शुल्क/धरोहर राशि/प्रोसेसिंग फीस ऑनलाईन www. kotamc.org पर जमा करानी होगी। जिसका साक्ष्य निविदा की तकनीकी बिड के साथ प्रस्तुत करना होगा अन्यथा तकनीकी बिड पर विचार नहीं होगा। इस निविदा में नगर निगम कोटा उत्तर क्षेत्र में से. नं. 01 से 07 के कुल 70 वार्डों मे सफाई कार्य हेतु 490 बीट श्रमिक आपूर्ति कार्य करना होगा।
2. निविदा भरने हेतु निविदा शुल्क/धरोहर राशि/प्रोसेसिंग फीस ऑनलाईन www.kotamc.org पर जमा करानी होगी। उक्त ऑनलाईन ट्रान्जेक्शन फर्म अथवा फर्म के प्रोपराइंटर के बैंक खाते से करना होगा अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं होगी।
3. निविदा दो पार्ट में होगी तकनीकी बिड की फिडिंग अलग होगी तथा वित्तीय बिड की फिडिंग अलग होगी। पहले तकनीकी बिड ओपन की जायेगी। उसका परीक्षण होगा तथा तकनीकी रूप से सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।
4. तकनीकी बिड हेतु निम्न दस्तावेज स्केन कर पीडीएफ फोरमेट में अपलोड होने चाहिये।

- धरोहर राशि, निविदा शुल्क एवम् प्रोसेसिंग फीस के भुगतान ऑनलाईन www.Kotamc.org पर जमा कराने के साक्ष्य की प्रमाणित प्रति। उक्त ऑनलाईन ट्रानजेक्शन फर्म अथवा फर्म के प्रोपराइंटर के बैंक खाते से करना होगा अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं होगी।
- स्थायी पता प्रमाणीकरण हेतु राशन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड/ड्राइविंग लाईसेंस मे से कोई एक की प्रमाणित प्रति।
- निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ हस्ताक्षरित।
- लेबर एक्ट के तहत श्रम विभाग में पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति।
- पी.एफ. एवं ई.एस.आई. के पंजियन के प्रमाण पत्र की प्रति।
- जी.एस.टी. पंजीयन की प्रमाणित प्रति।
- पेन कार्ड की प्रमाणित प्रति।
- एनएक्चर ए.बी.सी.डी. हस्ताक्षरयुक्त।
- संवेदक का नगर निगम कोटा उत्तर/दक्षिण के किसी भी महापौर/उपमहापौर/पार्षद/अधिकारी/कर्मचारी से ब्लड रिलेशन नही होने बाबत रूपये 50/– (राजस्थान सरकार के स्टाम्प पर) के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर कार्य–पालक मजिस्ट्रेट द्वारा/नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- गत 3 वर्षों के आयकर रिटर्न (वित्तीय वर्ष, 2020–21, 2021–22, 2022–23) के साथ सी.ए. ओडिट रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति। (वित्तीय वर्ष, 2020–21, 2021–22, 2022–23)
- फर्म किसी भी राज्य सरकार/केन्द्र सरकार, निगम बोर्ड से ब्लेक लिस्टेड नही होने बाबत रूपये 50/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर कार्य–पालक मजिस्ट्रेट द्वारा/नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र जो 6 माह से पुराना न हो की प्रमाणित प्रति।
- राशि 3.50 करोड़ औसत वार्षिक टर्न ओवर का सी.ए. से प्रमाणित प्रमाण पत्र विगत 3 वर्ष (वित्तीय वर्ष, 2020–21, 2021–22, 2022–23)

5. सफाई कार्य प्रतिदिन करना होगा। परन्तु कार्य पर लगाये गये सभी श्रमिकों को क्रमानुसार साप्ताहिक अवकाश देना होगा।
6. आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त प्रथम/द्वितीय, स्वास्थ्य अधिकारी को समय–समय पर बीट्स के निरीक्षण का अधिकार होगा एवं उनके द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कार्य करना होगा।
7. धरोहर राशि, निविदा शुल्क एवम् प्रोसेसिंग फीस के भुगतान ऑनलाईन www.Kotamc.org पर जमा कराने के साक्ष्य की प्रमाणित प्रति होनी चाहिए जो कि तकनिकी बिड के साथ संलग्न करनी होगी।

Scanned with OKEN Scanner

8. संवेदक द्वारा आपूर्ति किये गये बीटों से अधिकतम 8 घण्टे का कार्य लिया जायेगा। सफाई कार्य का समय प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक एवं दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक होगा तथा बीट्स पूर्ण समय तक मोके पर उपलब्ध कराना होगा। निगम हित में कार्य समय में परिवर्तन किया जा सकता है।
9. अन्य शर्ते आर.टी.पी.पी. अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एव सामान्य वित्तीय लेखा नियम तथा नगर पालिका नियमों में शासित होगी। विवाद होने पर आर.टी.पी.पी. एक्ट एण्ड रूल्स सर्वोपरी होंगे।
10. संवेदक को श्रम अधिनियम के अन्तर्गत निहित समस्त प्रावधानों एवं निर्देशों की पालना करनी होगी एवं पी.एफ. का रजिस्ट्रेशन करवा कर श्रमिकों के पी.एफ. के खाते खुलवाने होंगे तथा श्रम विभाग, पी.एफ. एवं ई.एस.आई. के रजिस्ट्रेशन की प्रति प्रथम भुगतान से पूर्व करनी होगी।
11. संवेदक को वर्षो से सफाई संविदा पर कार्यरत श्रमिकों को अपने अधीन नियुक्त करने में प्राथमिकता देनी होगी। यदि कोई श्रमिक कार्य में लापरवाही बरतता है तो संवेदक उस श्रमिक को अपने अधीन कार्य से निकालने के लिए स्वतंत्र होगा।
12. सवेदक को प्रत्येक माह इसके द्वारा नियोजित श्रमिकों/हेल्पर के ई.एस.आई/ई.पी.एफ. के चालान बिल के साथ अग्रिम रूप से जमा कराकर प्रस्तुत करने होंगे। प्रस्तुत ई.एस.आई/ई.पी.एफ. के चालान सेक्टर से संबंधित स्वास्थ्य निरीक्षक, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक द्वारा कार्यरत कर्मचारी के नाम से मिलान करने के पश्चात चालान संबंधित स्वास्थ्य निरीक्षक, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक से प्रमाणित कराने होगे। साथ ही 10/— रूपये के स्टाम्प पेपर प्रत्येक माह यह भी घोषणा करनी होगी। उसके द्वारा ईएसआई/ईपीएफ जमा करा दिये गये है। संबंधित विभागों द्वारा कोई भी दायित्व सृजित होते है तो सम्पूर्ण दायित्व संवेदक का होगा। इस बाबत उत्पन्न वैधानिक एवं आपराधिक दायित्व संवेदक का होगा।
13. संवेदक को सफाई संसाधन 4 बीट पर 1 कन्टेनाराईज्ड हेण्ड कार्ट (व्हील बैरोज) उपलब्ध कराना होगा। इसी के साथ सफाई में प्रयुक्त तगारी, फावडा, गेती, फ्लोरोसेन्ट जॉकिट, फावडी, लम्बे हेण्डल युक्त झाडू, शब्बल, गमबूट आदि एवं स्वास्थ्य हेतु उपकरण मास्क, ग्लब्स, सेनेटाइजर आदि अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने होंगे। कार्यादेश से पूर्व निगम द्वारा गठित समिति द्वारा इसका सत्यापन किया जावेगा।
14. संवेदक को प्रत्येक श्रमिक को रंगीन फ्लोरोसेन्ट जॉकिट उपलब्ध करानी होगी तथा संवेदक का दायित्व होगा कि समस्त श्रमिक फ्लोरोसेन्ट जॉकिट पहन कर ही कार्य करें। बिना फ्लोरोसेन्ट जॉकिट कार्य करते पाए जाने पर मानदेय में कटौती की जा सकेंगी।
15. संवेदक को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना होगा। इसका प्रमाण पत्र बिल पर अंकित करने पर ही भुगतान किया जावेगा।
16. अर्नेस्ट मनी निम्न मामलों में जप्त कर ली जावेगी –
a) जब कार्यादेश देने के बावजूद उल्लेखित समयावधि में कार्य आरम्भ करने में संवेदक असमर्थ रहता है।
b) निविदादाता निर्धारित अवधि में करार को सम्पादित नही करता है।
c) जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा के स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव वापस ले लेता है।
d) निविदा की शर्तों की पालना नही करता है।
17. निविदा स्वीकार/अस्वीकार व मान्य/अमान्य करने अधिकार सक्षम अधिकारी नगर निगम कोटा उत्तर में निहित होगा।
18. निविदा प्राप्ति/खोले जाने की नियत तिथि को अवकाश घोषित होने की स्थिति में अगला कार्य दिवस माना जायेगा।
19. निविदा की शर्तों का उल्लंघन करने/कार्य संतोषप्रद न होने की अवस्था में बीच में ही नोटिस देकर ठेका निरस्त कर धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि जप्त की जा सकती है।
20. बीट श्रमिकों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाई—बढाई जा सकती है। इसको मानने के लिए संवेदक बाध्य होगा।
21. निविदा में पंजीकृत सहकारी समितियों/श्रमविभाग में पंजीकृत/नगर निगम में पंजीकृत संवेदक ही भाग ले सकता है।
22. फर्म द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली दरों में श्रम विभाग द्वारा निर्धारित मजदूरी, दर, पी.एफ. ई.एस.आई. सर्विस चार्ज (5 प्रतिशत निर्धारित न्यूनतम मजदूरी पर) को शामिल करते हुए प्रस्तुत की जावे। इससे कम दर मान्य नही होगी। अकुशल श्रमिक की दर राशि रूपये 259 पी.एफ. 13.00 प्रतिशत, ई.एस.आई. 3.25 प्रतिशत प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर (कुल 26 दिवस) से देना अनिवार्य होगा।
23. फर्म द्वारा नियोजित किये जाने वाले श्रमिकों/कार्मिक का भुगतान समय पर करने एवं उनके पी.एफ.एवं ई. एस.आई. श्रमिको के खाते में जमा कराने का दायित्व बिडर का होगा। यदि किसी श्रमिक/कार्मिक के खाते में पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा नही होने की स्थिति में किसी भी श्रमिको द्वारा कोई दावा किया जाता है तो

Scanned with OKEN Scanner

उससे संबंधित समस्त उत्तर दायित्व संवेदक को ही वहन करना होगा इस बाबत् उत्पन्न दीवानगी/आपराधिक दायित्वों के लिए संवेदक जिम्मेदार होगा। ठेके के दौरान संवेदक द्वारा श्रम कानून/श्रम विभाग के आदेशों की पालना करनी होगी। अवहेलना करने पर न्यायालय या विभाग द्वारा लगाई गई किसी भी शास्ती/दण्ड के लिये संवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।

24. राष्ट्रीय सफाई आयोग की नियमावली की पालना संवेदक को सुनिश्चित करनी होगी तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सफाई कार्मिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, बीमा इत्यादि सभी प्रकार के नियमों की पालना के लिए संवेदक व्यक्तिशः जिम्मेदार होगा।
25. श्रमिकों का भुगतान समय पर श्रमिकों के खाते में/बैंक/चेक के माध्यम से करना होगा। बिल प्रस्तुत करते समय पी.एफ., ई.एस.आई. व श्रमिक भुगतान बैंक डिटेल भी साथ प्रस्तुत करने बाद बिल भुगतान की कार्यवाही की जा सकेगी।
26. ठेकेदार द्वारा वित्तिय प्रपत्र में ही दरे प्रस्तुत की जावें।
27. सफलतम संवेदक को 5 प्रतिशत कार्य संपादन प्रतिभूति राशि दर स्वीकृति आदेश प्राप्ति के अधिकतम 7 दिवस में अनुबंध करते समय जमा करवानी होगी।
28. निविदा शर्तों को स्वीकार करने के लिए निविदा शर्तों के प्रत्येक पृष्ट पर निविदादाता द्वारा हस्ताक्षर किये जाने आवश्यक है।
29. ठेकेदार द्वारा संतोषप्रद रूप से शर्तों व अनुबंध की पालना नही करने की स्थिति में नगर निगम कोटा उत्तर को एक तरफ अनुबंध निरस्त करने का अधिकार होगा।
30. ठेकेदार को कार्यादेश प्राप्त होते ही निर्धारित अवधि में कार्य प्रारम्भ कराना होगा।
31. संवेदक द्वारा का किसी अन्य व्यक्ति संस्था फर्म इत्यादि को किसी भी अवस्था में हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता।
32. संवेदक आदेशानुसार सफाई सेक्टर पर श्रमिकों की आपूर्ति कर बिल प्रमाणिकरण संबंधित स्वास्थ्य निरीक्षक एवं मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा करवाया जाकर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर ही बिल भुगतान की कार्यवाही की जा सकेंगी। भुगतान से पूर्व निविदा शर्तों के अधीन आपूर्ति किए गए श्रमिकों का सत्यापन स्वास्थ्य निरीक्षक/मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा किए जाने के उपरान्त ही किया जायेगा।
33. संवेदक को स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक/स्वास्थ्य निरीक्षक के निर्देशों के अन्तर्गत प्रतिदिन निर्देशित स्थानों की सफाई सार्वजनिक डिवाईडर/चौराहो /सडक/नाले-नालिया आदि की बीट्स से सफाई करवानी होगी तथा कचरा/मलवा एकत्रित कर निर्धारित कचरा पोईन्ट/बीन्स/टिपर में भरना होगा।
34. उक्त निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को लेबर ऐक्ट के तहत श्रम विभाग से पंजीकृत होना आवश्यक होगा।
35. ठेकेदार द्वारा बीट्स से प्रतिदिन करवाये जाने वाले कार्य से संबंधित शर्ते –
    i. निर्देशित स्थानों पर स्थित मूत्रालयों (पे.एण्ड यूज को छोडकर) की नगर निगम से प्राप्त कर तेजाब व फिनाईल से सफाई व धुलाई कराना।
    ii. निर्देशित स्थानों पर बीट्स से सफाई कराना, कचरा डिपो पर कचरा डालना, जहां कंटेनर है उन्हे भरना तथा उन्हे भरने हेतु बीट्स लगाना।
    iii. निर्देशित स्थानों से छोटे मृत जानवरों जैसे भेड, बकरी, कुत्ता, सुअर, बिल्ली, बन्दर आदि को उठाकर डिपो तक डालना।
    iv. सफाई कार्य 365 दिन होगा। संवेदक को लेबर एक्ट की पालना होगी। सफाई कार्य पूरे माह करवाना अनिवार्य होगा। ऐसा नही पाये जाने पर 1000/- शास्ती अवकाश दिवस की आरोपित की जावेगी। आधे बीट्स बुधवार एवं आधे बीट्स रविवार को उपलब्ध कराना होगा। कार्य पर लगाये गये सभी श्रमिकों को क्रमानुसार साप्ताहिक अवकाश देना होगा।
    v. निर्देशानुसार समय-समय पर नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये सफेद व रंगीन पाउण्डर से लाईनिंग कराना।
    vi. आवश्यकता होने पर नाला सफाई/रात्रि पारी में भी निगम के निर्देशानुसार बताये गये क्षेत्र में भी सफाई की अतिरिक्त व्यवस्था करनी होगी।
    vii. सेक्टर पर आपूर्ति किये जाने वाले बीट श्रमिकों एवं मुख्य मार्ग पर आपूर्ति किये जाने वाले आवश्यकतानुसार बीट श्रमिकों का कार्यादेश पृथक-पृथक जारी किया जावेगा। मुख्य मार्ग की सफाई की स्थिति मे डिवाईडरों की सफाई के पश्चात कचरा, कचरा पोईन्ट तक पहुंचाना होगा।

Scanned with OKEN Scanner

36. संवेदक को ठेका स्वीकृत होने पर नियमानुसार अनुमानित व्यय का 0.15 प्रतिशत (अधिकतम 25,000/– रूपये) के नॉन ज्यूडिशियल स्टामा पेपर पर 7 दिवस में अनुबन्ध पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं 1 करोड की बैंक FDR जमा करानी होगी। अनुबंध नहीं करने पर या प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराने पर आरटीपीपी एक्ट 2012 एवं रूल्स 2013 के नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

37. ठेकेदार द्वारा उपरोक्त वर्णित कार्य में लगाये गये श्रमिकों के संबंध में सभी संबंधित अधिनियम/नियम/उपनियम का पालना नही करने पर उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा। नगर निगम कोटा उत्तर इस संबंध में उत्तरदायी नही होगा।

38. ठेका श्रमिकों के व्यवहार, आचरण एवं गैर कानूनी कार्यों में लिप्त होने बाबत ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। नगर निगम कोटा उत्तर इसके लिए उत्तरदायी नही होगा एवं आपूर्ति किये गये बीट्स का रिकॉर्ड (नाम/पिता या पति का नाम, बैंक की डिटेल आधार कार्ड के रिकॉर्ड सहित) एवं मोबाईल नम्बर स्वयं के स्तर पर संधारण करना होगा। इस बाबत् स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा पालना सुनिश्चित की जावेगी।

39. ठेकेदार द्वारा लगाये गये श्रमिकों की उम्र 18 वर्ष से उपर व शारीरिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक होगा।

40. किसी भी दुर्घटना में श्रमिको को हुई क्षति के लिए पूर्ण रूप से ठेकेदार जिम्मेदार होगा। अगर किसी वजह से श्रमिक या उसके परिजन न्यायालय में जाते है तो न्यायालय द्वारा आर्थिक क्षतिपूर्ति के लिए नगर निगम की जिम्मेदारी तय की जाती है तो ठेकेदार की अमानत राशि/सुरक्षा गारंटी राशि उनको देय किसी भी भुगतान से कटौती की जायेगी।

41. ठेका अवधि में यदि न्यूनतम मजदूरी की दरों में परिवर्तन होता है, तो परिवर्तित राशि के अनुसार टेण्डर में भुगतान निगम द्वारा किया जायेगा।

42. निविदा की कार्य अवधि 02 वर्ष होगी तथा संवेदक का कार्य संतोषप्रद होने पर आपसी सहमति से कार्यादेश की अवधि आर.टी.पी.पी. नियमानुसार बढाई जा सकेगी।

43. निगम हित में ठेका कभी भी निरस्त किया जा सकता है तथा निगम द्वारा बिना कारण बताये एक माह का नोटिस दिया जाकर निविदा निरस्त करने का अधिकार आयुक्त नगर निगम कोटा उत्तर को होगा।

44. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर अन्तिम निर्णय निगम प्रशासन का होगा और वह दोनो पक्षो के लिए मान्य होगा। न्यायिक विवाद क्षेत्र कोटा होगा। निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व शर्तों का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा सकता है। बाद में कोई आपत्ति मान्य नही होगी।

45. संवेदक को की दर समान प्राप्त होने पर निर्णय सम्पूर्ण पारदर्शिता की शर्तों को अपनाते हुए लॉटरी के माध्यम से किया जावेगा।

46. फर्म को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक प्रतिमाह अपने अधीन कार्मिकों को भुगतान करना बाध्यकारी होगा। नगर निगम द्वारा संबंधित फर्म के बिल भुगतान से इसका कोई संबंध नही होगा। फर्म द्वारा सामुहिक कार्य बंद करने से पहले 15 दिवस पूर्व सूचना देने होगी। अचानक सामुहिक रूप से कार्य बंद करने की स्थिति में 50,000/– शास्ती प्रतिदिन आरोपित होगी साथ ही संवेदक को 5 वर्ष के लिए सफाई कार्य की निविदा में भाग लेने के लिए प्रतिबंधित करने के लिए निगम स्वतंत्र होगा तथा निगम संवेदक की रिस्क एण्ड कोस्ट के अनुसार कार्य कराने हेतु स्वतंत्र होगा जिसकी पूर्ति सफल संवेदक से की जावेगी।

47. सफाई संविदा श्रमिक द्वारा मैन रोड़ के कचरे को सूखा/गीला/डोमेस्टिक हजार्ड बेस्ट को अलग–अलग करके प्रतिदिन कटटा/बोरा में भरना होगा साथ ही उस वार्ड के जमादार को सूचना देकर जिस स्थान पर बोरा रखा हुआ है जिससे कचरे को सुखा/गीला/डोमेस्टिक हजार्ड बेस्ट को अलग–अलग टीपर में डाला जा सके। यदि संविदा कर्मचारी ने ऐसा नहीं किया तो फर्म को 2,000 रूपये प्रतिदिन की शास्ती लगाई जायेगी साथ में 5 संविदा श्रमिक पर यह नियम लागू होगा।

48. संवेदक टेण्डर मे जो दरे प्रस्तुत करेगा उस सभी तरह के कर शामिल होगे निविदा में स्वीकृत दर के अलावा अलग से सवेदक किसी भी प्रकार की राशि की मांग नहीं करेगा एवं सभी राज्य एवं गैर राज्य/केन्द्रीय सरकार के करो का दायित्व स्वयं संवेदक का होगा। सभी प्रकार के करो की देयता दायित्व संवेदक का होगा।

49. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर अन्तिम निर्णय निगम प्रशासन का होगा और वह दोनों पक्षो के लिये मान्य होगा। न्यायिक विवाद क्षेत्र कोटा होगा। निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व शर्तो का स्पष्टीकरण प्री बिड मिटिंग में प्राप्त किया जा सकता है बाद में कोई आपति मान्य नहीं होगी।

50. संवेदक को धरोहर राशि/अमानत राशि 2 प्रतिशत जमा करवाना अनिवार्य होगा। जो सफल संवेदक को कार्य समाप्ति पर वापस दी जावेंगी।

Scanned with OKEN Scanner

51. राजस्थान सरकार के वित्त (G&T) विभाग के परिपत्र क्रमांकः एफ.2(1)वित/एसपीएफसी/2017 के दिनांक 30.04.2018 पालना निम्नानुसार करनी होगी।

1. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा ।

2. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ सम्बन्धित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।

3. यदि किसी उपापन संस्था को अंशकालिक (Part&time) मानव संसाधन की सेवाओं की 4 घण्टे से कम अवधि के लिये आवश्यकता हो तो ऐसी अंशकालिक सेवा का बोली दस्तावेजों में स्पष्ट उल्लेख करते हुए सम्बन्धित उपापन संस्था द्वारा बिड सम्बन्धी कार्रवाई की जावेगी। ऐसे अंशकालिक मानव संसाधन जिनकी सेवाएं 4 घण्टे से कम अवधि के लिए ली जायेंगी उन्हें उनकी सेवाओं के विरूद्ध न्यूनतम मजदूरी की गणना श्रम विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की 50 प्रतिशत राशि पर की जायेगी।

4. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातो में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातें में जमा कराई गई राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के. बिल का भुगतान किया जायेगा।

5. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

6. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

7. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ और ई.एस.आई के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।

8. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु Helpline नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने सम्बन्धी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।

9. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी. एफ एवं ई.एस.आई की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।

10. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

11. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वंय उतरदायी होगा।

12. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदकं की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम

Scanned with OKEN Scanner

मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

13. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
14. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
15. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और, नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को Debar कराने की कार्यवाही करेगी।
16. यदि किसी संस्था द्वारा कार्य 'की विशिष्ट प्रकृति के मद्देनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत करा रखी हो, तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नहीं करते हुए, इसे पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूप में न्यूनतम मजदूरी का 10 प्रतिशत की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर रखी है तो न्यूनतम मजदूरी के ऊपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगतान संवेदक को किया जायेगा। उक्तानुसार विशिष्ट कार्य करने वाले सम्बन्धित श्रमिक को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
17. उपापन संस्था द्वारा संवेदक को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात् कार्यादेश की प्रति श्रम विभाग को सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी।

आयुक्त
नगर निगम, कोटा उत्तर

मेरे द्वारा सभी शर्तों/निर्देशों को भली–भांति
अध्ययन कर लिया है और मैं उक्त शर्तों
पर कार्य करने में सहमत हूँ।

हस्ताक्षर संवेदक

Scanned with OKEN Scanner